## धारा 149 : माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समनुदेशित किया जा सकेगा।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग अंकों को ऐसे मानकों के आधार पर, जो विहित किए जाएं, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग अंकों को आवधिक अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पब्लिक डोमेन में भी रखा जा सकेगा।